संख्या-01/2020/4510/71-2-2020-पी-15/2013

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान परिसर में एडवान्स आप्थामोलोजी सेन्टर एवं सर्विस ब्लाक के निर्माण कार्यो हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-91/2013/601/2020, दिनांक 11-12-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में एडवान्स आप्थामोलोजी सेन्टर एवं सर्विस ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-393/71-2-14-पी-15/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा रू0 5711.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की गयी हैः-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-1875/71-2-14-पी-15/2013, दिनांक 22 सितम्बर, 2014	2284.62
2	संख्या-7/3867/71-2-14-पी-15/2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2014	479.77
3	संख्या-1073/71-2-16-पी-15/2013, दिनांक 31 मार्च, 2016	500.00
4	संख्या-143/2018/3287/71-2-2018-पी-15/2013, दिनांक 29.11.2018	830.915
5	संख्या-16/2020/458/71-2-2020-पी-15/2013, दिनांक 19 फरवरी, 2020	299.67
	योग	**4394.975**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वितीय वर्ष 2020-21 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में एडवान्स आप्थामोलोजी सेन्टर एवं सर्विस ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू0 571.15 लाख (रूपया पॉच करोड इकहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था की होगी।
2) इस प्रायोजना हेतु शासनादेश दिनांक 19.02.2020 द्वारा निर्गत धनराशि रू0 299.67 लाख एवं प्रश्नगत धनराशि रू0 571.15 लाख का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के उपरान्त आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।
3) प्रायोजना की थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट 02 सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
4) निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि का संतोषजनक रूप से कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय कर लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5) प्रश्नगत कार्य के लिये निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6) निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त् करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
7) लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8) परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत था और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9) प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
11) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
12) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।
13) वित्तीय वर्ष 2020-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14) कार्यदायी संस्थान को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
15) प्रश्नगत प्रायोजना पूर्ण होने की संभावित तिथि के अतिरिक्त भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
16) प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिडयूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, संस्थान द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।
17) प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
18) बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
19) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।
20) कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाए।
21) प्रयोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों पर निदेशक, संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231 /2020 दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 शा0 संख्या-5/2020/बी-1-196 /दस-2020-231/2020 दिनांक 11 अप्रैल, 2020 शा0 संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29.09.2020 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03- संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29-09-2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2020/4510(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।